

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 791

26 Shrawan, 1940(S)

Ranchi, Friday, 17th August, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification 16th August, 2018

Notification No. -14/2018 – State Tax(Rate)

S.O. No. 50 Dated- 17th August, 2018--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Department of Commercial Taxes, No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (i) in the Table, -
- (a) against serial number 4, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union territory, local authority or" shall be omitted;
- (b) against serial number 5, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union territory, local authority or" shall be omitted;
- (c) after serial number 9C and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9D	Chapte	Services by an old age home run by Central	Nil	Nil";
	r 99	Government, State Government or by anentity		
		registered under section 12AA of the Income-tax		
		Act, 1961 (43 of 1961) to its residents (aged 60		
		years or more) against consideration upto twenty-		
		five thousand rupees per month per member		
		provided that the consideration charged is		
		inclusive of charges for boarding, lodging and		
		maintenance.		

(d) after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10A	Headin	Services supplied by electricity distribution	Nil	Nil";
	g	utilities by way of construction, erection,		
	9954	commissioning, or installation of infrastructure for		
		extending electricity distribution network upto the		
		tube well of the farmer or agriculturalist for		
		agricultural use.		

- (e) against serial number 14, in the entry in column (3), for the words "declared tariff", the words "value of supply" shall be substituted;
- (f) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures "2018", the figures "2019" shall be substituted;
- (g) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures "2018", the figures "2019" shall be substituted;
- (h) after serial number 24 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24A	Heading	Services by way of warehousing of minor	Nil	Nil";
	9967 or	forest produce.		
	Heading	r		
	9985			

(i) after serial number 31 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31A	Heading	Services by Coal Mines Provident Fund	Nil	Nil
	9971	Organization to persons governed by the		
	or Heading 9991	Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of		

		1948).		
31B	Heading 9971 or Heading 9991	Services by National Pension System (NPS) Trust to its members against consideration in the form of administrative fee.	Nil	Nil";

(j) after serial number 34 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"34A	Heading	Services supplied by Central Government,	Nil	Nil";
	9971	State Government, Union territory to their		
		undertakings or Public Sector		
		Undertakings(PSUs) by way of guaranteeing		
		the loans taken by such undertakings or		
		PSUs from the financial institutions.		

- (k) against serial number 36A, in the entry in column (3), after the figures "36" the word and figures "or 40" shall be inserted;
- (l) after serial number 47 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"47A	Heading	Services by way of licensing, registration and	Nil	Nil";
	9983 or	analysis or testing of food samples supplied		
	Heading	by the Food Safety and Standards Authority		
	9991	of India (FSSAI) to Food Business Operators.		

(m)after serial number 55and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	"55A	0001	Services by way of artificial insemination of livestock (other than horses).	Nil	Nil";
Į			nvestoek (other than horses).		

(n) after serial number 65A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"65B	Heading	Services supplied by a State	Nil	Provided that at the
	9991 or	Government to Excess Royalty		end of the contract
	any other	Collection Contractor (ERCC)		period, ERCC shall
	Heading	by way of assigning the right to		submit an account to
		collect royalty on behalf of the		the State Government
		State Government on the		and certify that the
		mineral dispatched by the		amount of goods and
		mining lease holders.		services tax deposited
				by mining lease
		Explanation "mining lease		holders on royalty is
		holder" means a person who		more than the goods

has been granted mining lease, quarry lease or license or other mineral concession under the Mines and **Minerals** (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the rules made there under or the rules made by a State Government under sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

and services tax exempted on the service provided by State Government to **ERCC** assignment of right to collect royalty and where such amount of goods and services tax paid by mining lease holders is less than the amount of goods and services tax exempted, the exemption shall be restricted to such amount as is equal to the amount of goods and services tax paid by the mining lease holders and the ERCC shall pay the difference between goods and services tax exempted on the service provided by State Government to **ERCC** the of assignment of right to collect royalty and goods and services tax paid by the mining lease holders on royalty.";

(o) after serial number 77 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"77A	Heading	Services provided by an unincorporated body	Nil	Nil";
	9995	or a non-profit entity registered under any law		
		for the time being in force, engaged in,-		
		(i) activities relating to the welfare of		
		industrial or agricultural labour or		
		farmers; or		
		(ii) promotion of trade, commerce,		
		industry, agriculture, art, science,		
		literature, culture, sports, education,		
		social welfare, charitable activities and		
		protection of environment,		
		to its own members against consideration in the		
		form of membership fee upto an amount of		
		one thousand rupees (Rs 1000/-) per member		
		per year.		

- (ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:"(iv) For removal of doubts, it is clarified that the Central and State Educational Boards shall be treated as
 Educational Institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of examination to
 the students."
- 2. This notification shall come into force with effect from 27th July, 2018.

[File.NoVaKar / GST / 05/ 2018] By the order of the Governor of Jharkhand,

> K. K. Khandelwal, Additional Chief Secretary.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, *vide* S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017 and was last amended by notification No. 2/2018 - State Tax (Rate), dated the 5th March, 2018 *vide* S.O. No. 17, dated the 5th March, 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 16 अगस्त, 2018

अधिसूचना सं॰. 14/2018- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं॰- 50 दिनांक- 17 अगस्त, 2018-- झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड सरकार, वाणिज्य कर विभाग के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित, अधिसूचना सं॰. 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) तालिका में, -
 - (क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" का लोप किया जाएगा;
 - (ख) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" शब्दों का लोप किया जाएगा:
 - (ग) क्रम संख्या 9ग और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9घ	अध्याय	प्रति सदस्य प्रति माह पच्चीस हजार रूपए तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं ";
	99	विचारण जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग और रखरखाव के		
		लिए विचारण प्रभार सम्मिलित है, के प्रति अपने		
		निवासियों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) को		
		केंद्र सरकार, राज्य सरकार या आयकर		
		अधिनियम, 1961 (1961 की धारा 43) की धारा		
		12कक के अंतर्गत पंजीकृत किसी हस्ती द्वारा		
		चलाए जा रहे वृद्धाश्रम द्वारा सेवाएं ।		

(घ) क्रम संख्या 10 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10क	शीर्षक	कृषि उपयोग हेतु किसान या कृषिविद के ट्यूब	कुछ नहीं	কুগু
	9954	वेल तक बिजली वितरण नेटवर्क को विस्तारित		नहीं";
		किए जाने हेतु निर्माण, परिनिर्माण, कमीशनिंग,		
		या बुनियादी ढांचे की स्थापना के द्वारा बिजली		
		वितरण उपयोगिता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली		
		सेवाएं ।		

- (घ) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में, "टैरिफ घोषित" शब्दों के स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ङ) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (च) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (छ) क्रम संख्या 24 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24क	शीर्षक	लघु वन उत्पादन के भण्डारण के माध्यम से	कुछ नहीं	কুछ
	9967	सेवाएं।		कुछ नहीं";
	या			
	शीर्षक			
	9985			

(ज) क्रम संख्या 31 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31क	शीर्षक	कोयला खान भविष्य निधि और विविध	কুछ	कुछ नहीं
	9971	प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46)	नहीं	_
	या	द्वारा शासित व्यक्तियोंको कोयला खान भविष्य		
	शीर्षक	निधि संगठन द्वारा सेवाएं ।		
	9991			

31 ख	शीर्षक	प्रशासनिक शुल्क के रूप में विचारण के प्रति	कुछ	कुछ नहीं";
	9971	अपने सदस्यों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	नहीं	
	or	(एनपीएस) द्वारा सेवाएं ।		
	शीर्षक			
	9991			

(झ) क्रम संख्या 34 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"34A	शीर्षक	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र	কুछ	कुछ नहीं";
	9971	द्वारा उनके उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के	नहीं	
		उपक्रमों (पीएसयू) को, ऐसे उपक्रमों या पीएसयू		
		द्वारा वित्तीय संस्थानों से उठाए गए ऋणों की		
		गारंटी के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली		
		सेवाएं ।		

- (ञ) क्रम संख्या 36क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में संख्या "36" के पश्चात् "या 40" शब्द और संख्या का समावेश किया जाएगा: -
- (ट) क्रम संख्या 47 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"47 क	शीर्षक	खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण	কুछ	कुछ नहीं";
	9983	(एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों	नहीं	
	या	को लाइसेंसिंग, पंजीकरण और खाद्य नमूनों की		
	शीर्षक	विश्लेषण या परीक्षण के माध्यम से सेवाएं ।		
	9991			

(ठ) क्रम संख्या 55 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"55 क	शीर्षक	पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान (घोड़ों के अलावा) के	<u>ক্</u> ড	कुछ नहीं";
	9986	माध्यम से सेवाएं ।	नहीं	

(ड) क्रम संख्या 65क और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"65 ख	शीर्षक	ऐक्सेस रॉयल्टी संग्रह ठेकेदार	शून्य	बशर्ते कि ठेका अवधि की
	9991	(ईआरसीसी) को किसी राज्य		समाप्ति पर, ईआरसीसी
	या	सरकार द्वारा खनन पट्टा धारको		राज्य सरकार को एक
	कोई	से रॉयल्टी एकत्र किए जाने का		खाता प्रस्तुत करेगा और
	अन्य	अधिकार सौंपने के माध्यम से		प्रमाणित करेगा कि रॉयल्टी
	शीर्षक	आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं ।		पर खनिकों द्वारा जमा
				जीएसटी की राशि रॉयल्टी
		स्पष्टीकरण		एकत्र किए जाने के
		"खनन पट्टा धारको" से अभिप्राय		अधिकार के समनुदेशन की
		ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हे खान		सेवा पर छूट दी गई
		और खनिज (विकास और		जीएसटी से अधिक है और
		विनियमन) अधिनियम, 1957		जहां खनिकों द्वारा
		(1957 का 67) की धारा 3 (ग)		भुगतान की गई जीएसटी
		या उसके अंतर्गत बने नियमो या		की ऐसी राशि छूट दी गई
		राज्य सरकार द्वारा खनिज		राशि से कम है, तो छूट
		(विकास और विनियमन)		ऐसी धनराशि तक सीमित
		अधिनियम, 1957 (1957 का		होगी जो खनन पट्टाधारकों
		67) की धारा 15(1) के अन्तःगत		द्वारा भुगतान की गई
		बनाये गए नियमो के अंतर्गत		जीएसटी की राशि के
		खनन पट्टा, खदान पट्टा या		बराबर हो और जीएसटी
		लाइसेंस या अन्य खनिज		रॉयल्टी पर खनन
		कन्सेशन दिया गया हो ।		पट्टाधारकों द्वारा भुगतान
				की गई जीएसटी और
				रॉयल्टी एकत्रीकरण-
				अधिकार के समनुदेशन की
				सेवा पर दी गई जीएसटी
				छूट के बीच अंतर का
				ईआरसीसी द्वारा भुगतान
				किया जाएगा ।"

(ढ) क्रम संख्या 77 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"77A	शीर्षक	निम्नलिखित में लगे हुए, इस समय प्रभावी किसी	कुछ नहीं	कुछ नहीं";
	9995	कानून के अंतर्गत किसी अनिर्धारित निकाय या		

किसी गैर-लाभकारी संस्था द्वारा प्रदत्त सेवाएं,(i) औद्योगिक या कृषि श्रमिक या किसान
के कल्याण से संबंधित गतिविधियां; या
(ii) व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, कला,
विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, खेल, शिक्षा,
सामाजिक कल्याण, धर्मार्थ गतिविधियों और
पर्यावरण की सुरक्षा का प्रोन्नयन,
प्रति वर्ष प्रति सदस्य एक हजार रुपये (1000/-रू०)
की राशि तक सदस्यता शुल्क के रूप में विचारण
के खिलाफ अपने सदस्यों हेतु ।

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड का समावेश किया जाएगा, अर्थात:-

"(iv) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक बोर्डों द्वारा छात्रों को परीक्षा आयोजित किए जाने के माध्यम से प्रदान किए जाने वाली सेवाओं के सीमित उद्देश्य हेतु केंद्रीय और राज्य शैक्षणिक बोर्डों को शैक्षिक संस्थान के रूप में माना जाएगा ।"

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/05/2018] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के॰ के॰ खण्डेलवाल, अपर मुख्य सचिव ।

नोट: - मूल अधिसूचना सं॰. 12/2017 - राज्य कर(दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के द्वारा झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई और अधिसूचना संख्या 2/2018- राज्य कर (दर), दिनांक 5 मार्च, 2018, जिसे एस. ओ. सं. 17, दिनांक 5 मार्च, 2018 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था।
